संख्या-51/2015/2212 ई-2/तेरह-2015-227/2000

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 06 अक्टूबर,2015

विषय:- उत्तराखण्ड राज्य स्थित मे0 इण्डिया ग्लाईकाल्स लि0 को उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से 10 लाख कुण्टल शीरा निर्यात की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-49/दस-144ए/शी0नि0/उत्तराखण्ड, दिनांक 14 अगस्त,2015 तथा पत्र संख्या-जी-61/दस-144ए/शी0नि0/उत्तराखण्ड, दिनांक 15 सितम्बर, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 14 अगस्त,2015 एवं पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 2015 द्वारा की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स इण्डिया ग्लाईकाल्स लि0 को उत्तराखण्ड राज्य में स्थित उसकी रासायनिक इकाई के लिये उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से 10.00 लाख कुण्टल शीरा निर्यात की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि वास्तविक शीरा निर्यात की अनुमति प्रदेश में शीरे की उपलब्धता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत चरणबद्ध रूप से शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के स्तर से प्रदान की जायेगी।

तद्नुसार आवश्यक आगामी कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in